न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, प्रथम, शिवहर।

तरियानी छपरा थाना कांड संख्या–24/2021

दिनांक–20.03.2021

काराधीन अभियुक्त–1. महेश मुखिया, जिन्हें तरियानी छपरा थाना कांड संख्या–24/2021 अन्तर्गतं धारा– 30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अपराध के संदर्भ में दि0–09.03.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार, द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री ब्रजेश कुमार सिंह को सुना गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–08.03.2021 को सूचक पु0अ0नि0 सैफ अहमद ने सशस्त्र बल एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ संध्या गस्ती एवं अवैध शराब के विरूद्व समकालीन अभियान के दौरान गुप्त सूचना मिली कि ग्राम तरियानी छपरा में महेश मुखिया अपने घर में चोरी छिपे अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहा है। उक्त सूचना के आधार पर संबंधित स्थान पर पहुँचा तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति घर से निकलकर भागने लगा जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया एवं नाम पता पुछने पर अपना नाम महेश मुखिया बताया तथा तलाशी के क्रम में उसके टाट फुस के बने घर के आंगन से प्लास्टिक के पीला रंग के पॉच लीटर वाला जरकिन में करीब दो लीटर देशी चुलाई शराब बरामद हुआ। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त दि0–09.03.2021 से कारा में हैं। आवेदक सक्षम बंध पत्र देने को तैयार हैं तथा उनके प्रपलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक प्रस्तुत वाद में दि0–09.03.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त के घर से दो लीटर देशी चुलाई शराब बरामदगी का आरोप है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. महेश मुखिया, के द्वारा मो0–10,000/–(दस हजार रुपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है, कि अभियुक्त के दोनों जमानतदार स्थानीय होने चाहिए, जिनके पास पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो 2. आवेदक अभियुक्त इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगें कि वे विचारण/अनुसंधान के दौरान पूर्ण सहयोग करेगें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

Khyati Sri

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
दिनांक–20.03.2021